न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 106/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गणपतलाल पुत्र हरिराम तंवर 2. ओमप्रकाश तंवर पुत्र हरिराम 3. किनिया पत्नि नत्थाराम पुत्री, हरिराम 4. कमली पत्नी पुखराज पुत्री हरिराम 5. शांति परिहार पत्नि अमृतलाल पुत्री हरिराम जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री पुनित दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

–: निर्णय :– दिनांक – 29/08/24

अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी मुथा तह0 सोजत के ख.नं. 149, 150 कुल खसरा 02 कुल रकबा 6.1800 है0, इसी प्रकार ग्राम बासनी तिलवाड़िया के ख.नं. 312 रकबा 2.0600 है0 में वादीगण की माता सुगनी देवी का 1/3 हक हिस्सा आता है तथा इसी ग्राम के ख.नं. 303 व 325 में सुगनी देवी का 1/3 व 1/8 हक हिस्सा आता हैं। वादीगण की माता का सही व वास्तविक नाम सुगनी देवी पत्नि हरिराम हैं, किन्तु स्लीप ऑफ पेन से उक्त राजस्व रेकर्ड में वादीगण की माता का नाम सुगनी देवी के स्थान पर सुकनी देवी पत्नि हरजीराम, सुकनी देवी पत्नि हरिराम व सुकना देवी पत्नि हरिराम दर्ज हो गया। वादीगण की माता की मृत्यु दिनांक 04.02.2024 को हो चुकी है तथा वादीगण के पिता हरिराम तंवर की भी मृत्यु दिनांक 17.01.2000 हो चुकी हैं। वादीगण की माता के समस्त दस्तावेजात में सुगनी देवी पत्नि हरिराम दर्ज है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में इनका नाम सुकनी, सुकना दर्ज कर दिया गया। जिससे वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादी वाद पेश कर वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण की माता का नाम सुकनी देवी पत्नि हरिराम, सुकना देवी पत्नि हरिराम व सुकनी देवी पत्नि हरजीराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सुगनी पत्नि हरिराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जवाब नहीं देने से अवसर समाप्त कर जवाब दावा बंद किया जाता हैं। प्रकरण की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तहसीलदार सोजत से चाही गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी की मौका रिपोर्ट सहित जांच रिपोर्ट पेश की, जिसमें वादीगण की माता का नाम सुकनी देवी पत्नि हरिराम, सुकना देवी पत्नि हरिराम व सुकनी देवी पत्नि हरजीराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सुगनी पत्नि हरिराम किये जाने की अनुशंषा की।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादग्रस्थ कृषि भूमि के वादीगण की माता का नाम सुकनी देवी पत्नि हरिराम, सुकना देवी पत्नि हरिराम व सुकनी देवी पत्नि हरजीराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम सुगनी पत्नि हरिराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद, फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण की माता का वास्तविक सही नाम सुगनी एवं पिता का नाम हरिराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादस्थ कृषि भूमि में दुरूस्त नाम इन्द्राज किये जाना न्यायोचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बासनी मुथा तह0 सोजत के ख.नं. 149, 150 कुल खसरा 02 कुल रकबा 6.1800 है0 में वादी की माता का नाम सुकनी बाई पत्नि हरिराम के स्थान पर सुगनी देवी पत्नि हरिराम तथा ग्राम बासनी तिलवाड़िया के ख.नं. 312 रकबा 2.0600 है0 में वादीगण की माता सुकना देवी पत्नि हरिराम के स्थान पर सुगनी देवी पत्नि हरिराम, ख.नं. 303 व 325 में सुकनी देवी पत्नि हरजीराम के स्थान पर सुगनी देवी पत्नि हरिराम दुरुस्त रूप से इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 29/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(आ०20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

वादी बनाम प्रतिवादी

वादी:

1. गणपतलाल पुत्र हरिराम तंवर
2. ओमप्रकाश तंवर पुत्र हरिराम
3. किनिया पत्नि नथाराम पुत्री हरिराम
4. कमली पत्नी पुखराज पुत्री, हरिराम
5. शांति परिहार पत्नि अमृतलाल पुत्री हरिराम जातिगण माली निवारीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली।

प्रतिवादी:

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 106 / 2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री पुनीत दवे अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं सरहद मौजा बासनी, मुथा तह0 सोजत के ख.नं. 149, 150 कुल खसरा 02 कुल रकबा 6.1800 है0 में वादी की माता का नाम सुकनी बाई पत्नि हरिराम के स्थान पर सुगनी देवी पत्नि हरिराम तथा ग्राम बासनी तिलवाड़िया के ख.नं. 312 रकबा 2.0600 है0 में वादीगण की माता सुकना देवी पत्नि हरिराम के स्थान पर सुगनी देवी पत्नि हरिराम, ख.नं. 303 व 325 में सुकनी देवी पत्नि हरजीराम के स्थान पर सुगनी देवी पत्नि हरिराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को जारी की गई।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फ़ीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.